न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 132/2015
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

कैलाश चन्द्र मुतबन्ना हरिराम जागेटिया निवासी नांदशा हाल निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

श्रीमती सोहनी पुत्री अमरा भील निवासी नांदशा हाल दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

––विपक्षीया

निर्णय दिनांक .....

प्रार्थी ने विपक्षीया के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नांदशा (के) पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ सरहद में अराजी संख्या 4202 रकबा 0.29 हे0 स्थित है जिसके पड़ौस निम्न प्रकार हैः–

पूर्व – नानूराम पुत्र मगनीराम दर्जी की सम्पत्ति
पश्चिम– लेहरू , चतरभुज पुत्र कालुराम जाट की आराजी
उत्तर – आम रास्ता
दक्षिण – स्वयं की अन्य आराजी

यह कि उक्त आराजी नम्बर 4202 का वर्तमान जमाबंदी में खातेदार काश्तकार के रूप में विपक्षीया एक का नाम चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी कैलाश चन्द्र के पूर्वजों का सजरा निम्न प्रकार हैः–

रामकरण

बरदीचन्द फौत	हरिराम (फौत लाऔलाद)
I	I
रामसहाय	गोदपुत्र
	कैलाश चन्द्र (प्रार्थी)

यह कि उक्त आराजी नम्बर 4202 के साबिक आराजी नम्बर संवत् 1982 के सेटमेन्ट में आराजी नम्बर 2393 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा दर्ज थे, जिसमें खातेदार काश्तकार लाला पुत्र दल्ला भील निवासी नांदशा दर्ज था और मुर्तहीन बिल कब्ज रामकरण पुत्र उदयराम महाजन साकिन गंगापुर दर्ज रेकार्ड था।

यह कि सन् 2004 में उक्त आराजी संख्या 4202 बरदीचन्द पुत्र रामकरण महाजन साकिन गंगापुर के नाम खातेदार काश्तकार के नाम दर्ज थी और प्रार्थी का इस आराजी पर वर्षों से भौतिक कब्जा आज तक चला आ रहा है " प्रशासन गावों के संग अभियान" में उपखण्ड अधिकारी गंगापुर ने दिनांक 08.12.2005 को उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार बरदीचन्द

(सहायक कलक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

आत्मज रामकरण का नाम हटाकर विपक्षीया संख्या एक का नाम दर्ज कर दिया। उक्त गैर कानूनी आदेश प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी को किसी प्रकार की सूचना/नोटिस दिये बिना किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये, तथ बिना किसी प्रकार की शहादत सिवुत लिए ही अवैधानिक तरीके से पारित कर दिया जो प्रारम्भतः शून्य एवं अकृत था। अब विपक्षीया जमीन अपने खाते में दर्ज रहने से वह इसे हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रही है और प्रार्थी के शाान्तिपूर्वक आधिपत्य में भी दखल पैदा करना चाह रही है।

यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलें पेश की जो वंहा से खारिज कर दी गई ।

यह कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा दिया गया उक्त आदेश बिना किसी साक्षी के बयान लिये एवं बिना किसी सबुत के सरासर गलत पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के सरासर विपरीत होने से तथा अकृत होने से अपास्त होने योग्य है। क्यों कि कानून कोई भी आदेश प्रार्थी के विरूद्ध उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं किसी भी साक्ष्य की सबुत लिये बिना होने से कानून सम्वत न होकर अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है और प्रार्थी उक्त आदेश से किसी प्रकार से बाध्य भी नहीं है।

यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टियां मामला प्रमाणित है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीया द्वारा प्रार्थी को उक्त आराजियात से बेदखल करने को आमादा होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीया के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम नांदशा की हाल आराजी संख्या 4202 रकबा 0.29 हे0 से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें और प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त लाभ लेने देवे।

विपक्षीया को उक्त प्रकरण में सम्मन नोटिस जारी किये गये । विपक्षीया उपस्थित। विपक्षीया द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब देही बंद की जाती है। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को उक्त प्रकरण में सुना गया। यह निर्विवाद है कि प्रार्थना पत्र ग्राम नांदशा की हाल आराजी संख्या 4202 रकबा 0.29 हे0 भूमि में विपक्षीया का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज अभिलेख है। विपक्षीया ने उक्त प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रार्थीया का उक्त प्रकरण में प्रथम प्रथमदृष्टिया मामला बनना पाया जाता है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपुरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतःप्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीया को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम नांदशा की हाल आराजी संख्या 4202 रकबा 0.29 हे0 भूमि को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरीत नहीं करे तथा प्रार्थी को बेदखल नहीं करें और प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त लाभ लेने देवे।

सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.01.27 15:52:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: